झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

तृतीय झारखण्ड विधान सभा

चतुर्दश सत्र

वर्ग–04

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न शनिवार, दिनांक– 11श्रावण, 1936 {श0} / 02, अगस्त, 2014{ई0} को झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे:–

क्र.सं.	विभागों को संसूचित की गई सां.सं.	सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
01	जा–02	श्री कमलेश उराँव	ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराना।	ऊर्जा	24.07.14
02	जा–10	श्रीमती सुधा चौधरी	विद्युतीकरण कार्य को पूरा करना।	ऊर्जा	25.07.14
03	जा–03	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	विद्युत सब–स्टेशन का निर्माण।	ऊर्जा	25.07.14
04	ज–05	श्रीमती सुधा चौधरी	सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।	जल संसाधन	25.07.14
05	जा–01	श्री माधव लाल सिंह	विद्युत सब–स्टेशन का निर्माण।	ऊर्जा	24.07.14
06	ज–06	श्री जनार्दन पासवान	डैम का जीर्णोद्धार।	जल संसाधन	25.07.14
07	जा–08	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा	टाउन फीडर से विद्युत आपूर्ति।	ऊर्जा	25.07.14
08	ज–03	श्री हरिकृष्ण सिंह	चेक डैम का निर्माण।	जल संसाधन	25.07.14
09	कृ–01	श्री जनार्दन पासवान	बीमा राशि का भुगतान।	कृषि एवं गन्ना	25.0714
10	जा–06	श्री अमित कु0 यादव	पावर सब–स्टेशन का निर्माण।	ऊर्जा	25.07.14
11	जा–11	श्री सत्यानन्द झा	विद्युत आपूर्ति करना।	ऊर्जा	25.07.14
12	ज–02	श्री जगरनाथ महतो	सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।	जल संसाधन	25.07.14
13	ज–01	श्री कमलेश उराँव	पटवन कार्य प्रारंभ कराना।	जल संसाधन	24.07.14
14	रा–01	श्री बंधु तिर्की	दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	राजस्व एवं भूमि सुधार	25.07.14

कृ0पृ0उ0...../–

15	ज-04 श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा	बराज की सफाई।	जल संसाधन	25.07.14
16	अनि-01 श्री उमा शंकर अकेला	प्रशिक्षण की व्यवस्था।	श्रम नियोजन	25.07.14
17	जा-09 श्री विनोद कु0 सिंह	विद्युत लाइन पूर्ण कराना।	ऊर्जा	25.07.14
18	जा-07 श्री उमा शंकर अकेला	विद्युत आपूर्ति करना।	ऊर्जा	25.07.14
19	क-01 श्रीमती विमला प्रधान	छात्रवृत्ति का भुगतान।	कल्याण	25.07.14
20	जा-04 श्री हरिकृष्ण सिंह	विद्युतीकरण करना।	ऊर्जा	25.07.14
21	जा-05 श्री जगरनाथ महतो	जर्जर तार एवं पोल बदलना।	ऊर्जा	25.07.14

.....

राँची,
दिनांक-02 अगस्त,2014(ई0।)

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-1443/वि0स0,राँची,दिनांकः-28/07/14.जुलाई,2014ई0।

प्रतिलिपिः-झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/मुख्यमंत्री/मंत्रिगण/मुख्य सचिव तथा राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.07.14

(अनिल कुमार)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-1443/वि0स0,राँची,दिनांकः-28.....जुलाई,2014ई0।

प्रतिलिपिः-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/प्रभारी सचिव महोदय एवं अपर सचिव(प्रश्न) को सूचनार्थ प्रेषित।

28.07.14

(अनिल कुमार)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

राजेन्द्र

जितेन्द्र
28/07/14

(1)

श्री कमलेश उराँव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.08.2014 को पूछा जाने वाला
तारांकित प्रश्न संख्या जा–02 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री कमलेश उराँव, माननीय स.वि.स.	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है, कि गुमला जिला मुख्यालय में दो 05 एम0भी0ए0 का ट्रांसफर्मर है जिसकी स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्त्तमान में गुमला शक्ति उपकेन्द्र में 2x5 MVA + 1x3.15 MVA Power Transformer अधिष्ठापित है एवं कार्यरत है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो गुमला जिला को एक 10 एम0भी0ए0 का नया ट्रांसफर्मर देने का विचार नहीं रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो?	गुमला में तकनीकी समन्वयता के दृष्टिकोण से 1x10 MVA Power Transformer की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति हेतु निगम से माँग की जा चुकी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार क्रय प्रक्रिया निगम में जारी है एवं सितम्बर माह तक 1x10 MVA Power Transformer आपूर्ति गुमला विद्युत उपकेन्द्र के लिए हो जाने की सम्भावना है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1655 / दिनांक 31-07-14.

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/7/14

सरकार के उप सचिव

(2)

श्रीमती सुधा चौधरी, माननीया स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.08.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या जा–10 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्रीमती सुधा चौधरी, माननीया स.वि.स.	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है, कि पलामू जिलान्तर्गत प्रखण्ड पाटन एवं पंडवा के क्रमशः रोल, बासाबार, डुरही, सरैया, कुंदरी एवं चिल्ही, सड़मा गांव में विद्युतीकरण का कार्य 10 वर्षो से अधूरा है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त कार्य की एजेंसी राइट्स द्वारा कार्य अधूरा छोड़े जाने पर इसे विभाग द्वारा पूर्ण कराने का निर्णय लेते हुए दिसम्बर 2013 में इस संबंध में निविदा आमंत्रित की गई थी;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि निविदा के बावजूद अब तक विद्युतीकरण कार्य यथास्थिति में अधूरा पड़ा है तथा संवेदक के द्वारा कोई कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उपर्युक्त गाँवों के अधूरे विद्युतीकरण कार्य को पूरा कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो?	इन गाँवों को राइट्स द्वारा कार्य अधूरा छोड़ दिए जाने के उपरान्त विभाग के द्वारा पूरा कराया जाना है, इसके लिए विद्युत आपूर्ति क्षेत्र स्तर पर निविदा निकाली गई है। पोल एवं विद्युत सामग्री उपलब्ध होते ही वर्ष 2014–15 में कार्य पूरा करा दिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1646 / दिनांक 31-07-14.

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/7/14

सरकार के उप सचिव

(3)

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.08.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या जा–03 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, माननीय स.वि.स.		उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है, कि विश्व विख्यात ऐंग्लों इंडियन ग्राम मैकलुस्कीगंज में विद्युत की स्थिति काफी खराब रहती है;		आंशिक स्वीकारात्मक। मैक्लुस्कीगंज में विद्युत की आपूर्ति 33/11 के0भी0 बचरा सब–स्टेशन से 11 के0भी0 फीडर के माध्यम से की जाती है। 11 के0भी0 फीडर की लम्बाई करीब 85 कि0मी0 है जो जंगल के रास्ते से गुजरती है जिसमें दोष उत्पन्न होता है एवं उत्पन्न दोष को खोजकर दूर करने में काफी वक्त लग जाती है। यही वजह है कि बरसात के दिनों में एवं आंधी तुफान वाले मौसम में विद्युत आपूर्ति ज्यादा प्रभावित होती है।
2. क्या यह बात सही है कि मैक्लुस्कीगंज में ख्याति प्राप्त कई विद्यालय थाना, चिकित्सालय, रेलवे स्टेशन, बैंक तथा पर्यटन स्थल है, विद्युत व्यवस्था खराब रहने से लोगों को काफी दिक्कत होती है;		आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार जनहित में विद्युत सब–स्टेशन का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो?		वर्ष 2014–15 में ए0डी0पी0 योजना के अन्तर्गत 33/11 के0भी0 पावर सब–स्टेशन का निर्माण कराना प्रस्तावित है आवश्यक जमीन उपलबध कराने हेतु उपायुक्त राँची से अनुरोध किया गया, उपायुक्त राँची द्वारा जिला वन पदाधिकारी को जमीन उपलब्ध कराने हेतु पत्र दिया गया है। वन पदाधिकारी द्वारा भी जल्द जमीन हस्तांतरित कर देने हेतु आश्वासन दिया गया हैं। जमीन उपलब्ध होते ही पावर सब–स्टेशन निर्माण हेतु कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1648 / दिनांक 31-07-14

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/7/14.
सरकार के उप सचिव

(5)

माननीय स०वि०स० श्रीमती सुधा चौधरी द्वारा दिनांक–02.08.2014 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–ज–05 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत अमानत नदी पर निर्मित पांकी बराज से नहरों में पानी नहीं दिया जा रहा है ;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अनावृष्टि से अकाल की चपेट में है, जबकि उपर्युक्त बराज से पाटन एवं पड़वा प्रखण्ड को सिंचाई सुविधा मिलती ;	स्वीकारात्मक है।
3	क्या यह बात सही है कि सिंचाई सुविधा के अभाव में पाटन एवं पड़वा में धान की रोपनी प्रभावित है ;	स्वीकारात्मक है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार पांकी बराज से नहरों में पानी प्रवाहित कराकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	अमानत बराज से निसृत औरंगा मुख्य नहर में वन भूमि अपयोजन की प्रक्रिया प्रगति में है। साथ ही शेष भू–अर्जन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वन भूमि का अपयोजन एवं भू–अर्जन होने के पश्चात् योजना को पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। तत्पश्चात् मुख्य नहर से पानी प्रवाहित कराकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–6/ज०स०वि०–20–ता०–19/2014.....7481 **राँची, दिनांक**–1-8-14

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–1415, वि०स० दिनांक–25.07.2014 के क्रम में 5 (पाँच) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/8/14

सरकार के संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची।

D:\Node-4\TA\Vidhan Sabha 2014\31.07.14\J-5 Sudha Choudari.doc

(5)

श्री माधव लाल सिंह माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.08.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या जा–01 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री माधव लाल सिंह, माननीय स०वि०स०		उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है, कि बोकारो जिलान्तर्गत गोमिया प्रखण्ड के साड़म तथा ललपनिया के तिलैया में विद्युत सब–स्टेशन निर्माण हेतु दिनांक 09.02.2014 को माननीय विभागीय मंत्री तथा झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष की उपस्थिति में शिलान्यास किया गया;		स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित विद्युत सब–स्टेशन निर्माण हेतु हुए शिलान्यास के पांच माह बीत जाने के बाद भी अभी तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है;		स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार खण्ड 1 में वर्णित दोनों स्थानों पर विद्युत सब– स्टेशन का निर्माण प्रारंभ कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो?		प्रश्नान्तर्गत विषय में वर्णित विद्युत सब–स्टेशन के निर्माण के लिए भूमि उपलब्धता हेतु अनापत्ति पत्र प्राप्त हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2014–15 के वार्षिक विकास योजना के अंतर्गत प्रस्ताव की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। प्रस्ताव स्वीकृति के उपरान्त सब–स्टेशन निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,

ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1656 / दिनांक 31-07-14.

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

(6)

माननीय स०वि०स०, श्री जनार्दन पासवान के द्वारा दिनांक 02.08.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज–6 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि चतरा जिला अन्तर्गत विभाग द्वारा हंटरगंज प्रखण्ड में (1) दुलकी डैम – ग्राम–तुलसीपूर, (2) गोलाई नहर, झगरतरी तरवागढ़ा, (3) सुधरी जलाशय, मंझगांवा दंतार पंचायत में सन् 1976 में निर्माण कराया गया था, अत्यन्त ही जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है;	आंशिक स्वीकारात्मक। दुलकी डैम ग्राम– गोसाईडीह में अवस्थित है।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त प्रत्येक डैमों से हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई होती थी जो अब बाधित है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्ष 2013–14 में सिंचाई प्रदान की गयी है। i) दुलकी जलाशय योजना – 185 हे० ii) गोलाई सिंचाई योजना – 210 हे०
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार खण्ड–1 में वर्णित तीनों डैम का जीर्णोद्धार एवं नहर का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	योजनाओं के नहर तटबंध एवं संरचनाओं के पुनर्स्थापन कार्य हेतु सर्वेक्षणोपरान्त प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। प्राक्कलन तैयार होने के उपरान्त अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–ता०–20/14 – 7482 **/राँची, दिनांक** 1-8-14

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 1416 दिनांक 25.07.2014 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/8/14

सरकार के संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची।

(7)

श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.08.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या जा–08 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है, कि खूँटी जिलान्तर्गत खूँटी नगर पंचायत क्षेत्र के सभी 16 (सोलह) वार्डो में विद्युत आपूर्ति अलग–अलग फीडर से की जाती है जिससे यहाँ के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार नगर पंचायत क्षेत्र के सभी 16 (सोलह) वार्डो में टाउन फीडर से ही विद्युत आपूर्ति कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो?	वर्त्तमान खूँटी 33/11 के0भी0 विद्युत उपकेन्द्र से शहरी फीडर के द्वारा लगभग 70% आबादी (लगभग 10 वार्ड) की आपूर्ति की जा रही है। 11 के0भी0 टाउन फीडर का विद्युत भार 190 से 200 एम्पियर है जो इसकी पूरी क्षमता तक पहूँच चुका है। शहर के लगभग 20 प्रतिशत आबादी (लगभग 04 वार्ड) को 11 के0भी0 ग्रामीण फीडर से विद्युत आपूर्ति की जा रही है। ग्रामीण फीडर का भार लगभग 200 एम्पियर है। शहर के 10% आबादी (लगभग 02 वार्ड) की विद्युत आपूर्ति तोरपा, मुरहू एवं अड़की फीडर से की जा रही है जिस पर चल रहे भार लगभग 190 एम्पियर है। उपरोक्त वर्णित खूँटी शहर के विभिन्न क्षेत्रों एवं 11 के0भी0 फीडरों के भार के मद्देनजर सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति हेतु वर्त्तमान में यह व्यवस्था चल रही है। परन्तु शहरी क्षेत्र के सभी उस क्षेत्रों में जहां अभी शहरी फीडर से आपूर्ति तकनीकी दृष्टिकोण करना सम्भव नहीं हो पा रहा है उसकी वैकल्पिक समुचित व्यवस्था के मद्देनजर एक अलग 11 के0भी0 फीडर बनाने का प्रस्ताव है जो बाद में ग्रामीण फीडर बन जायेगा एवं वर्त्तमान ग्रामीण फीडर शहरी फीडर नं0–02 हो जायेगा। उक्त कार्य हेतु प्राक्कलन राशि लगभग 30 लाख रूपये है और वित्तीय वर्ष 2014–15 में इसे पूर्ण करने का प्रस्ताव है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1652 / दिनांक 31-07-14.

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/7/14

सरकार के उप सचिव

(8)

माननीय स०वि०स०, श्री हरिकृष्ण सिंह के द्वारा दिनांक 02.08.2014 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या ज–03 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, लातेहार जिलान्तर्गत बरवाडीह प्रखण्ड के ग्राम पंचायत गणेशपुर के ग्राम कुकु के वैगाई नाला में एवं ग्राम मनातु के दोदराही नाला में चेकडैम का निर्माण नहीं हुआ है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उपर वर्णित दोनों नाला पर चेकडैम निर्माण से आदिवासी बाहुल्य नक्सल प्रभावित क्षेत्र के सैकड़ों एकड़ जमीन की सिंचाई होगी ;	योजना की संभाव्यता पाये जाने, बजटीय उपबंध एवं क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर चेकडैम के निर्माण पर विचार किया जा सकेगा।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार वर्णित स्थानों पर चेकडैम निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–ता०–17/14 – 7479 **/राँची, दिनांक** 1-8-14

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 1417 दिनांक 25.07.2014 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/8/14

सरकार के संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची।

(9)

श्री जनार्दन पासवान, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक-02.08.2014 को झारखण्ड विधान सभा में पूछे जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या- कृ-1 का उत्तर सामग्रीः-

उत्तरदाताः- माननीय मंत्री, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

क्या मंत्री कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

कृ0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि चतरा जिला के कई प्रखण्डों में ICICI Lombard द्वारा वर्ष 2011-12 में कृषि आधारित खरीफ फसलों का बीमा किया गया था ;	स्वीकारात्मक है
2	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2011-12 में सामान्य से कम अनुपात में वर्षा होने के बावजूद भी ICICI Lombard द्वारा चार (4) वर्ष बीत जाने के बाद भी कृषकों द्वारा कराये गये बीमा की राशि का भुगतान नहीं किया गया है ;	स्वीकारात्मक है
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपरोक्त कम्पनी द्वारा कृषकों को कराये गये बीमा की राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	ICICI Lombard द्वारा अपने स्तर से वर्ष 2011-12 में कृषि बीमा का कार्य किया गया था, कंपनी ने अपने पत्र सं0-96/13.06.2014 द्वारा सूचित किया है कि वर्ष 2011-12 में उन्हें राज्य सरकार द्वारा भुगतेय कुल प्रिमीयम राशि 48,60,000/-के विरूद्ध मात्र 25,08,000/-रू0 का भुगतान किया गया है। यह राशि कृषि निदेशालय द्वारा एग्रीकल्चर इंश्योरेंश कम्पनी के माध्यम से भुगतान किया जाता है। यदि अवशेष राशि कम्पनी को देय है तो, उनके दावे की जाँच करते हुए इस वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग

ज्ञापांक-9/कृ0वि0स0ता0प्र0-41/14- 2284 राँची, दिनांक- 01.08.14

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं0-1431 दिनांक-25.07.2014 के प्रसंग में उत्तर की 200(दो सौ) प्रति के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01-8-14

(राम प्रसाद साय)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-9/कृ0वि0स0ता0प्र0-41/14- 2284 राँची, दिनांक- 01.08.14

प्रतिलिपिः-प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव,कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01-8-14

सरकार के संयुक्त सचिव

(10)

श्री अमित कुमार यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.08.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या जा–06 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री अमित कुमार यादव, माननीय स०वि०स०		उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है, कि हजारीबाग जिलान्तर्गत चलकुशा प्रखण्ड मुख्यालय में पावर सब–स्टेशन नहीं होने से इसके आस–पास के क्षेत्रों में लो वोल्टेज की समस्या तथा विद्युत आपूर्ति भी बाधित रहती है ;		आंशिक स्वीकारात्मक।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार व्यापक लोकहित में चलकुशा प्रखण्ड मुख्यालय में पावर सब–स्टेशन का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?		हजारीबाग जिलान्तर्गत चलकुशा प्रखण्ड मुख्यालय में विद्युत शक्ति उपकेन्द्र निर्माण कार्य वार्षिक योजना वर्ष 2011–12 में स्वीकृत है। उपकेन्द्र के निर्माण कार्य हेतु दो एकड़ सरकारी भूमि उपलब्ध हो गया है। सर्वे का कार्य किया जा रहा है। कार्य प्रगति पर है। इसे चालू वितीय वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1647 / दिनांक 31-07-14.

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/7/14
सरकार के उप सचिव

(11)

श्री सत्यानन्द झा(बाटुल), माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.08.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या जा–11 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री सत्यानन्द झा(बाटुल), माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है, कि जामताड़ा जिले के नाला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम–मृर्गापहाड़ी, टोला–डंगल पाड़ा, ग्राम–महुला, टोला–ताली पाड़ा, ग्राम–सिकन्दरपुर, टोला–चितू पाड़ा, ग्राम–रामपुर, टोला–नपून पाड़ा/बजना पाड़ा गाँव में विद्युत आपूर्ति की गई है, किन्तु उक्त गाँव से जुड़े टोला में विद्युत की आपूर्ति नहीं की गई है ;	आंशिक स्वीकारात्मक है। जामताड़ा जिला के अन्तर्गत ग्राम–मृगापहाड़ी, महुला, सिकन्दरपुर एवं रामपुर में विद्युत आपूर्ति हो रही है, लेकिन ग्रामों से संबंधित टोला–डंगालपाड़ा, तालीपाड़ा, चितूपाड़ा, नतूनपाड़ा/बजनापाड़ा में विद्युत की आपूर्ति नहीं हो रही है।
2. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त गाँव से जुड़े टोलों में विद्युत आपूर्ति नहीं होने के कारण कृषि विकास, छात्र–छात्राओं के पठन–पाठन पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है, जिसके कारण विकास अवरूद्ध हो रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार नाला विधान–सभा के उपर वर्णित गांवों से जुड़े टोलों में विद्युत आपूर्ति करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	ग्राम–मृगापहाड़ी के टोला–डंगालपाड़ा विभाग के 301 ग्राम (Not Covered in any Scheme) के कार्य योजना में है जिसका विद्युतीकरण का लक्ष्य दिसम्बर 2014 रखा गया है। अन्य ग्रामों 1, महुआ का टोला–तालीपाड़ा (सोरेनपाड़ा) 2. ग्राम सिकन्दरपुर का टोला–चितुपाड़ा (संथाल टोला) एवं ग्राम रामपुर का टोला– नतुनपाड़ा/बाजनापाड़ा (नया टोला) का विद्युमतीकरण बारहवीं योजना के तहत स्वीकृत है एवं कार्य हेतु निविदा की प्रक्रिया चल रही है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1651 /

दिनांक 31-07-14.

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/7/14

सरकार के उप सचिव

(12)

माननीय स०वि०स०, श्री जगरनाथ महतो के द्वारा दिनांक 02.08.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज–2 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि कोनार नहर सिंचाई सुविधा के लिए कोनार डैम से डुमरी प्रखण्ड तक बनना था;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त सिंचाई योजना का कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार जनहित में योजना को पूरा कराकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	समुचित राशि उपलब्ध होने पर कोनार सिंचाई परियोजना को अगले तीन–चार वर्षों में पूरा कराकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–ता०–16/14 – 7478 **/राँची, दिनांक** 1-8-14

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 1414 दिनांक 25.07.2014 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/8/14

सरकार के संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची।

(13)

माननीय स०वि०स०, श्री कमलेश उराँव के द्वारा दिनांक 02.08.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज–1 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि गुमला जिलान्तर्गत अपरशंख जलाशय योजना के निर्माण को लगभग 25 वर्ष से उपर हो गया है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त योजना के निर्माण में अरबों रूपये की लागत राशि खर्च हो चुकी है, और अब तक 1 हेक्टेयर जमीन का भी पटवन नहीं होता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्ष 2012–13 में 100 हे० एवं वर्ष 2013–14 में 275 हे० क्षेत्र में योजना के दांयी मुख्य नहर से सिंचाई हुई है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार अपरशंख जलाशय योजना निर्माण के लिए अन्तिम डेड लाइन घोषित करना चाहती है, ताकि उक्त योजना के निर्माण के नाम पर पैसे की लूट बन्द हो साथ ही उससे पटवन के कार्य प्रारंभ करा कर कृषकों को लाभ पहुचाया जा सके यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	योजना को वर्ष 2015–16 में पूर्ण करने का लक्ष्य है। खरीफ 2015 में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जा सकेगा। वितरण प्रणाली के भू–अर्जन में समय लगने के कारण कार्य कराने में विलम्ब हो रहा है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–ता०–15/14 – 7477 /राँची, दिनांक 1-8-14

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 1294 दिनांक 24.07.2014 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/8/14

सरकार के संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची।

(14)

श्री बन्धु तिर्की, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.08.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0– रा. 01 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		माननीय, मंत्री (प्रभारी) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
1. क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत मौजा–तिरिल ढेला टोली, थाना–सदर, राँची निवासी बंधना उराँव की भूमि खाता नं0–42, प्लॉट नं0–523, रकबा–01.50 एकड़ भूमि की बिक्री संतोष राम द्वारा की गयी है,		अंचल में संधारित राजस्व कागजात के अनुसार प्रश्नगत खाता एवं प्लॉट की भूमि की बिक्री संतोष राम के द्वारा नहीं की गई है।
2. क्या यह बात सही है कि मौजा–तिरिल ढेला टोली, थाना –सदर, राँची के अजय उराँव के खाता नं0–38 की भूमि को संतोष राम, पिता–बिगनु राम द्वारा संतोष उराँव बनकर अवैध बिक्री की जा रही है,		खाता नं0–38 के अन्तर्गत संतोष राम, पिता–बिगन राम द्वारा संतोष उराँव बनकर बिक्री किये जाने संबंधित कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार मौजा–तिरिल ढेला टोली, थाना–सदर, राँची के आदिवासियों की भूमि की अवैध बिक्री पर रोक लगाने एवं संतोष राम सहित दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं, तो क्यों ?		मामला प्रकाश में आने पर दोषी पदाधिकारियों एवं संतोष राम के विरूद्ध नियमानुसार विधिवत समुचित कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, राँची।

ज्ञापांक–7 / वि.स. (तारां.)–388 / 14 3067 / रा., दिनांक– 01-08-14

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके पत्रांक–1428 / वि.स., दिनांक–25.07.14 के क्रम में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11814
सरकार के उप सचिव।

(15)

माननीय स०वि०स०, श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा के द्वारा दिनांक 02.08.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज–4 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि खूँटी जिलान्तर्गत खूँटी जल संसाधन विभाग के द्वारा तजना नदी में तजना बराज का निर्माण 25 वर्ष पूर्व में कराया गया था;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि तजना बराज में बालू भर गया है एवं नहर भी बीच–बीच में टूट गया है तथा चूहा बिल बनाकर नहर को क्षतिग्रस्त कर रहा है जिसके कारण मद्वरू टोली, चिकोर, भण्डरा बारू तथा अन्य 15–20 गाँवों में पानी सही ढंग से नहीं आ रहा है, जिससे सिंचाई कार्य में असुविधा हो रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। पिछले वर्ष 700 हे० में सिंचाई दी गयी है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार तजना बराज की सफाई एवं नहर का मरम्मत कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	नहर तटबंधों का सुदृढ़ीकरण एवं नहर के तल सफाई कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–ता०–18/14 – 7480 **/राँची, दिनांक** 1-8-14

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 1413 दिनांक 25.07.2014 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/8/14

सरकार के संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची।

(16) 832 01-08-14

श्री उमाशंकर अकेला, माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक–02.08.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या – श्रम0नि0–01 का उत्तर सामग्री –

क0	**प्रश्नकर्त्ता** श्री उमाशंकर अकेला माननीय सदस्य, विधान सभा।	**उत्तरदाता** श्री कृष्णानंद त्रिपाठी माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखंड सरकार
1	2	3
1.	क्या मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत बरही प्रखंड में श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग का आई0टी0आई0 भवन बनकर तैयार है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि भवन निर्माण के बाद भी क्षेत्र के बेरोजगार छात्र प्रशिक्षण से वंचित हैं;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार अतिशीघ्र नवनिर्मित भवन में प्रशिक्षण देने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	राज्य मंत्रीपरिषद के निर्णय के आलोक में बरही में स्थापित होने वाला औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान सहित भविष्य में स्थापित होने वाले सभी औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान पी0पी0पी0 के माध्यम से संचालित किया जाना है। क्योंकि इस पॉलिसी से राज्य को वित्तीय नुकसान भी हो रहा है। अतः इस पॉलिसी की पुर्नसमीक्षा करने का फैसला लिया गया है। औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, बरही को पॉलिसी के पुर्नसमीक्षा के बाद ही आरंभ किया जायेगा। यह कार्रवाई यथाशीघ्र पूरी की जायेगी।

Investor 1.8.14

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।

झारखंड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

ज्ञापांक :– 5/प्रशि0(विधानसभा)–723/2014– 832 रॉची, दिनांक :– 01–08–14

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्र सं0–1430 दिनांक–25.07.14 के प्रसंग में 250 चक्चालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Investor 1.8.14

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।

(17)

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.08.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या जा–09 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स.वि.स.	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है, कि बिरनी प्रखण्ड(गिरिडीह जिला) व जमुआ में नियमित समुचित विद्युत आपूर्ति हेतु गिरिडीह से जमुआ तक 33 के0वी0 लाईन बनाने की कार्य गत दो वर्ष में भी पूरा नहीं हुआ है ;	स्वीकारात्मक।
2. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार गिरिडीह जमुआ 33 के0वी0 लाईन पूर्ण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो?	उपरोक्त लाईन का निर्माण डी0भी0सी0 के कार्यक्षेत्र में पड़ता है। डी0भी0सी0 द्वारा लाईन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में बरसात के कारण कार्य बाधित है। चालू वितीय वर्ष में उक्त निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1653 / दिनांक 31-07-14.

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/7/14
सरकार के उप सचिव

(18)

श्री उमाशंकर अकेला, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.08.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या जा–07 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री उमाशंकर अकेला, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है, कि हजारीबाग बरही सब–स्टेशन में डी0भी0सी0 के द्वारा मात्र 15 एम0भी0ए0 विद्युत आपूर्ति की जाती है;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि 15 एम0भी0ए0 विद्युत आपूर्ति के कारण बरही चौपारण एवं चतरा जिला में अधिकांश क्षेत्रों में नियमित विद्युत आपूर्ति नहीं हो पाती है ;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
3. क्या यह बात सही है कि विभाग के द्वारा डी0भी0सी0 से 40 एम0भी0ए0 की मांग की गयी है जो आपूर्ति नहीं हो पाती है ;	स्वीकारात्मक है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार 40 एम0भी0ए0 विद्युत आपूर्ति करवाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	बरही स्थित डी0भी0सी0 ग्रीड से 15 एम0भी0ए0 से 40 एम0भी0ए0 विद्युत आपूर्ति कराने हेतु अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, राँची ने अपने पत्रांक–780, दिनांक–14.07.2014 द्वारा अध्यक्ष, डी0भी0सी0, कोलकाता से आवश्यक कार्रवाई हेतु लिखा गया है। डी0भी0सी0 द्वारा 132/33 के0भी0 Grid Barhi में कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् विद्युत आपूर्ति में सुधार होगी।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1650 / दिनांक 31-07-14.

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

19

श्रीमती विमला प्रधान, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या --क0--01 का उत्तर सामग्री

क्र0	प्रश्न	माननीय मंत्री, कल्याण विभाग का उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला में SC, एवं OBC के छात्रो को अलग से छात्रावास की व्यवस्था नहीं है।	स्वीकारात्मक
2	यह बात सही है कि जिला में SC एवं OBC छात्र छात्राओं को (9 एवं 10 वर्ग) एक वर्ष से छात्रवृति नहीं मिली है।	अस्वीकारात्मक वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2013--14 में अनुसूचित जाति के 1112 लाभुकों को एवं पिछडी जाति के 2981 लाभुकों को छात्रवृति राशि का भुगतान किया गया है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार छात्रावास की सुविधा एवं छात्रवृति देने का विचार रखती है, हॉ तो कबतक, नहीं तो क्यों।	1. छात्रों के लिए छात्रावास निर्माण हेतु जिला से विधिवत प्रस्ताव प्राप्त होने पर राशि की उपलब्धता एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार विचार किया जायेगा । 2. छात्रवृति के संबंध में कंण्डिका--2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग

ज्ञापांक-- 06 / वि0 स0 प्र0--2 / 2014 -- 1737 राँची, दिनांक--01.08.14

प्रतिलिपि :-- 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0--**1427** दिनांक--**25.07.2014** के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1/8/14
(विनोद शंकर सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री हरिकृष्ण सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.08.2014 को पूछा जाने वाला (20)
तारांकित प्रश्न संख्या जा–04 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री हरिकृष्ण सिंह, माननीय स०वि०स०		उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है, कि लातेहार जिलान्तर्गत गारू प्रखण्ड में आजादी से लेकर आज तक वहां के लोगों को बिजली मयस्सर नहीं है;		आंशिक स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि गारू प्रखण्ड में विद्युतीकरण के आभाव में नक्सल प्रभावित आदिवासी बहुल्य पिछड़ा क्षेत्र का विकास प्रभावित है;		आंशिक स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार वर्णित प्रखण्ड में विद्युतीकरण इसी वित्तीय वर्ष में कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो?		विगत दो वर्षो से आई0भी0आर0सी0एल0 द्वारा विद्युतीकरण का कार्य बन्द कर दिया गया है। आई0भी0आर0सी0एल0 द्वारा कार्य को अधूरा छोड़कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला दर्ज किया गया। सम्प्रति सर्वोच्च न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय में मामला भेज कर निर्णय हेतु निर्देश दिये है। मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1649 / दिनांक 31-07-14.

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/7/14
सरकार के उप सचिव

(21)

श्री जगरनाथ महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.08.2014 को पूछा जाने वाला
तारांकित प्रश्न संख्या जा–05 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री जगरनाथ महतो, माननीय स०वि०स०		उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है, कि बोकारो जिलान्तर्गत दुगदा से तेलो तक तरंगा फीडर का पोल एवे तार जर्जर है;		आंशिक स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त जर्जर तार एवं पोल के गिरने से जानवरों की मौत होते रहती है;		स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार जनहित में जर्जर तार एवं पोल बदलने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो?		दुगदा से तेलो तक तरंगा फीडर का जर्जर पोल एंव तार को बदलने हेतु सर्वे कराकर प्राक्कलन तैयार किया जा चुका है। प्राक्कलन स्वीकृति हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में इसे पूर्ण कर लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1654 / दिनांक 31-07-14.

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/7/14
सरकार के उप सचिव